# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर** (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 13/2025

बउनवान

विजय कुमार जैन पुत्र स्व० जिनेन्द्र कुमार जैन आयु 45 वर्ष जाति जैन निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने बारा जिला बारां राज० (अपीलांट)

बनाम

पदमाबाई बेवा जिनेन्द्र कुमार जैन आयु 67 वर्ष जाति जैन निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने बारां तहसील व जिला बारां राज० (रेस्पोंडेंट)

**अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 02/12/2024 बमुकदमे प्रकरण संख्या 09/2023 बउनवान पदमाबाई बनाम विजय कुमार, कार्यवाही बाबत वृद्ध माता पिता के संरक्षण अधिनियम 2003 न्यायालय उप–जिला मजिस्ट्रेट बारां**

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 13.05.2025**

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया रेस्पो० ने अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन उक्त उनवान का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति की मृत्यु 20 साल पूर्व हो चुकी है। प्रार्थीया के दो पुत्र है। विजय कुमार व अनिल जैन है जो वर्तमान मे प्रार्थीया के मकान कृषि उपज मण्डी के सामने बारां में निवास करते है। बडा पुत्र विजय कुमार प्रार्थीया के साथ गत 10–15 वर्षो से मारपीट व तंग करता चला आ रहा है। प्रार्थीया का छोटा पुत्र अनिल बीच बचाव के लिए आता है तो उसके साथ भी मारपीट करता है जिससे उसके शरीर पर चोटो के निशान आज भी मौजूद है। प्रार्थीया द्वारा थाना कोतवाली बारां मे कई रिपोर्ट विजय कुमार के विरूद्ध दी है लेकिन पुलिस घर आती है तो वापस चली जाती है। पुनः मुझे उठाकर मारपीट करता है व बुरी बुरी गालियां देता है. प्रार्थीया अब विजय कुमार जैन को अपने मकान में नहीं रखना चाहती है उसे बेदखल करना चाहती है। उक्त प्रकरण दर्ज होने पर अपीलान्ट को नोटिस जारी हुआ जहाँ उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर 07/06/2024 को उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश प्रदान किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी कोतवाली बारां को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी विजय कुमार को कृषि उपज मण्डी के सामने स्थित मकान मे से बेदखल किया जाकर प्रार्थीया पदमाबाई बेवा जिनेन्द्र कुमार जैन जाति जैन निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने बारां को दिलाया जावे। अप्रार्थी को प्रार्थी से किसी प्रकार की लडाई झगडा व गाली गलोच नही करने हेतु पाबन्द किया जावे। उक्त निर्णय दिनांक 02/12/2024 को प्रदान किया गया है। मुकदमे के विचारण के दौरान प्रार्थीया व अप्रार्थी/अपीलान्ट के बीच कोई विवाद नहीं हुआ और रेस्पो०/प्रार्थीया स–आनन्द उसके साथ रहती रही इस कारण अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रार्थीया/रेस्पो० ने आश्वस्त किया हुआ था कि वह कार्यवाही वापस ले लेगी। माँ होने से उसकी बात पर पूर्ण भरोसा अप्रार्थी/रेस्पो० द्वारा किया गया अन्यथा अपीलान्ट का आशय न्यायालय की उपस्थिति से बचने का कतई नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना किसी आधार के कानूनी तथ्यों को दरकिनार करके प्रदान किया गया है। वास्तविकता इस प्रकार है कि [illegible] अपीलान्ट एंव उसके पिता द्वारा 25 वर्ष पूर्व अतिक्रमण में जो भूमि सन 1964 [illegible] या है जो जिनेन्द्र कुमार जैन के कब्जे की थी जिसके कोई दस्तावेज प्रार्थीया/रेस्पो० के [illegible] है। जबकि उसने न्यायालय में मूल दस्तावेज अपीलान्ट के कब्जे मे होना बताया है। [illegible] में बिना टाइटल के [illegible] पेश करने मात्र लाइट बिल और किराया [illegible] स्वामित्व का मकान प्रार्थीया [illegible]० का होना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.06.26 17:01:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

मानकर निर्णय प्रदान करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलान्ट द्वारा कभी कोई मारपीट, गाली गलोच प्रार्थीया/रेस्पो० के साथ नही की गई है। वास्तविकता इस प्रकार है कि प्रार्थीया/रेस्पो० स्वंय अपने छोटे पुत्र के पक्ष में है और नाजायज रूप से आरोपण कर अप्रार्थी/अपीलान्ट को बेदखल करना चाहती है जबकि अप्रार्थी/अपीलान्ट गत काफी वर्षों से परिसर में स्थित दुकान पर मोटर पार्टस का व्यवसाय कर आजीविका कमाता है तथा प्रार्थीया/रेस्पो० के दबाव के कारण उसने अपनी पत्नि को पृथक से किराये के मकान में रखा हुआ है। मात्र विवादित्त बताये जा रहे मकान के प्रथम तल पर अपीलान्ट निवास करता है और आवश्यकतानुसार रेस्पो० प्रार्थीया का भरण पोषण खर्च भी समय समय पर वहन करता है। अपीलान्ट के विरूद्ध पारित एकतरफा आदेश की स्थिति में वह अपनी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं कर सका और न्याय प्राप्ति से वंचित रहा। अप्रार्थी/ अपीलान्ट को न्यायहित मे सुना जाना एंव अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 02/12/2024 अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान करने की कृपा करे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट को सुनवाई एवं जवाबदेही/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त मकान रेस्पोडेन्ट के मृतक पति जितेन्द्र कुमार जैन की स्वअर्जित सम्पत्ति है। रेस्पोडेन्ट द्वारा ही उक्त सम्पत्ति का रखरखाव एवं अवेर सवेर की जाती है बिजली इत्यादि के बिल भी रेस्पोडेन्ट द्वारा जमा करवाये जाते हैं। इस मकान में स्थित दुकान भी जर्ये किरायानामा रेस्पोडेन्ट द्वारा ही दी जाती है। अपीलांट गत 10–15 वर्षों से रेस्पोंडेन्ट के साथ गालीगलौच, मारपीट व दुर्व्यवहार करता है तथा रेस्पोडेन्ट का छोटा पुत्र बीच बचाव करने हेतु आता है तो उसके साथ भी मारपीट करता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस बाबत कई रिपोर्ट थाना कोतवाली बारां में दी लेकिन पुलिस घर आकर वापस चली जाती है तो वह पुनः मारपीट व गालीगलौच करता है। इसलिये रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही पेश की जिसे बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है परन्तु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया तथा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया गया इसके पश्चात अपीलांट एवं उसके अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 21 तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 21 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होना पाई

अतः अपील अपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.06.26 17:01:14 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)